न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 75/2024

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थी–**
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर		श्री पूराराम पुत्र श्री हीराराम जाति जाट, निवासी ग्राम कानासर, तहसील शिव जिला बाड़मेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री नाथूराम प्रजापत, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 18.09.2024 को श्री अनिल कुमार, प्रवर्त्तन निरीक्षक बाड़मेर हमराम श्री कंवराराम, जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर, श्री भारूराम नायब तहसीलदार शिव द्वारा मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स नागाणा दूध डेयरी, कानासर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री पूराराम पुत्र श्री हीराराम, जाति जाट निवासी ग्राम कानासर, तहसील शिव, जिला बाड़मेर उपस्थित मिला। उक्त दु[illegible] को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान [illegible] गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु [illegible] गया। उक्त गैस [illegible]डर (एचपीसीएल, आईओसीएल) मार्क का पाया [illegible]या, जिसका ब्यौरा नि[illegible]कार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:19 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	475385 S	HPCl	19.200 Kg	16.600 Kg	3.200 Kg
2.	209516	HPCL	17.800 Kg	17.800 Kg	0.000 Kg
3.	230394	IOCL	15.900 Kg	15.900 Kg	0.000 Kg
4.	239258S	HPCL	15.700 Kg	15.700 Kg	0.000 Kg
5.	983377	IOCL	15.500 Kg	15.500 Kg	0.000 Kg
6.	8316238	IOCL	15.700 Kg	15.700 Kg	0.000 Kg

2. मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 6 घरेलू गैर सिलेण्डर मैसर्स श्री भाटिया ग्रामीण वितरक, कानासर के प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। [illegible] जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी ने लिखित जवाब [illegible] कि उक्त गैस सिलेण्डर विप्रार्थी के जान पहचान [illegible] उसकी दुकान पर रखे गये थे। जिस बाबत तत्समय ही विप्रार्थी द्वारा [illegible]की जानकारी प्रार्थी को दी गई तथा दो कनेक्शन धारको की पासबुक प्रार्थी को बताया गया लिहाजा उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

विरूद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर उसे दिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स श्री भाटिया ग्रामीण वितरक, कानासर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त गैस सिलेण्डर विप्रार्थी के जान पहचान वालों ने भरवाने हेतु उसकी दुकान पर रखे गये थे। जिस बाबत तत्समय ही विप्रार्थी द्वारा इसकी जानकारी प्रार्थी को दी गई तथा दो कनेक्शन धारको की पासबुक प्रार्थी को बताया गया जबकि मौतबिरान के रूबरू मौके व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग लेते हुए जब्त किये गये हैं। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का [illegible] किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन मे पाये जाने से उपरोक्त छः गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:19 IST
Reason: SelfAttested

को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

6. आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:19 IST
Reason: SelfAttested